

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 22.08.2024

फोन के माध्यम से काम दिलाने के बहाने बुलाकर लूट का अपराध कारित करने के आरोप में 03 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 अदद लूट का मोबाइल, 82,050 रूपया नगद, घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन सहित अन्य दस्तावेज बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूट/चोरी के अपराधो पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 अंजय कुमार सिंह मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 474/2024 धारा 127(2),309(6),351(3), 352 बीएनएस, मु0अ0सं 475/2024 धारा 127(2),309(6), 351(2),352 बीएनएस, मु0अ0सं 476/2024 धारा 127(2), 309(6),351(2),352 बीएनएस, मु0अ0सं 477/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस व मु0अ0सं0 478/2024 धारा 342,394,506 भादवि से संबंधित अभियुक्त 1. लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ राणा सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र जगदीश नारायण सिंह निवासी ग्राम परमेठ थाना करंडा जनपद गाजीपुर, 2. अंगद कुमार पुत्र राम मिलन निवासी आबादी शखनी थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर व 3. वासुदेव शर्मा पुत्र संजय शर्मा ग्राम सटोरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चारपहिया वाहन, 08 अदद लूट का मोबाइल फोन कुल 82050/-रु0 नगद, दो अदद लूट का आधार कार्ड, 02 अदद फर्जी आधार कार्ड, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद पुलिस का कैटीन स्मार्ट कार्ड, 05 चेक बुक, घटना में प्रयुक्त 03 अदद स्टील के पाइप, 01 अदद लोहे के मुठिया लगा हथौड़ा, अगुंठा लगा हुआ 03 अदद स्टाम्प पेपर व 03 सादे स्टाम्प बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 3(5) बीएनएस व धारा 411 भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गयी तथा घटना में प्रयुक्त चार पहिया UP 56AS5416 बलेनो कार को सीज किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1. आवेदक द्वारा जरिए दूरभाष सूचना दिया गया कि दिनांक 17.08.2024 को अभियुक्तों द्वारा कबाड़ का समान दिलाने के बहाने उसके भाई व 01 अन्य व्यक्ति को गोरखपुर के नौकायान पर बुलाया तथा वहा से उनको बलेनो गाड़ी नं0 UP 56AS5416 में बैठाकर रानीडिहा में लिये हुए किराये के कमरे में ले जाकर कमरे में बंद कर खुद को क्राईम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए मारपीट करते हुए गाली गलौज कर व जान माल कि धमकी देते हुए 11,000/-रु0 ट्रान्सफर करा लिया गया व मोबाइल फोन के साथ साथ आधार कार्ड छीन लिया गया, जिसके सम्बन्ध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 474/2024 धारा 127(2)/309(6)/352/351(3) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।
2. 02 आवेदकों द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 03.08.2024 को अभियुक्तों द्वारा ईंट का काम दिलाने के बहाने गोरखपुर बस स्टेशन पर बुलकर अपनी गाड़ी बलेनो कार वाहन संख्या UP 56AS5416 मे बैठाकर साईट

दिखाने के लिए रानीडिहा में लिये हुए किराये के कमरे में ले जाकर, कमरा बंद कर खुद को क्राईम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए मारपीट करते हुए गाली गलौज करने व जान माल कि धमकी देते हुए मोबाइल , ATM कार्ड छीन लेना व मारकर ATM का पिन पूछकर फोन-पे के माध्यम से कुल 4,02,314 रूपया निकाल लेने व एक सादे स्टॉप पेपर पर व कोरे कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लिया गया । जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 475/2024 धारा 127(2),309(6),352,351(3) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया ।

3. आवेदक द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 15.08.2024 को अभियुक्तों द्वारा सेंट्रिंग का काम दिलाने के बहाने गोरखपुर कचहरी बस स्टैण्ड पर बुलाकर साईट दिखाने के बहाने अपने बलेनो कार नं0 UP 56AS5416 मे बैठाकर बहला फुसलाकर एक किराये के कमरे में ले जाकर बन्द करके गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व घर से पैसे मगांकर खाता में 12,000/-रूपया ट्रासफर करा लिया गया । जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 476/2024 धारा 127(2), 309(6), 352, 351(2) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया ।
4. आवेदक द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 13.08.2024 को अभियुक्तों द्वारा मकान निर्माण संबंधित काम दिलाने के बहाने कचहरी बस स्टैण्ड गोरखपुर बुलाकर, साईट दिखाने के बहाने अपने बलेनो कार नं0- UP 56AS5416 से एक किराये के घर में ले जाकर बन्द करके गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व घर से पैसे मगांकर भिन्न खातो मे 20,000/-रूपये ट्रासफर करा लिया गया । जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 477/2024 धारा 127(2), 309(6), 352, 351(2) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया ।
5. आवेदक द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 30.06.2024 को नाली का बड़े स्तर पर काम दिलाने के बहाने कचहरी बस स्टैण्ड गोरखपुर बुलाकर, बातों में उलझाकर बस स्टैण्ड से पूरब कहीं अनजान रास्तों पर घुमाते हुए अपनी बलेनो कार नं0 UP 56AS5416 से लगभग 20 मिनट के बाद एक बिल्डिंग में ले जाकर मार पीटकर आवेदक का मोबाइल छीन लिया गया तथा उनसे जबरजस्ती 2,00,000 रूपये भिन्न भिन्न खातो मे ट्रांसफर करा लिया गया । जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-478/2024 धारा 342, 394, 506 भादवि भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया ।

अपराध करने का तरीका -

उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा गोरखपुर जनपद के आस-पास के जिलों में सम्पर्क कर तरह तरह के काम करने वाले लोगो को बुलाकर काम दिखाने व बात करने के बहाने अपने किराये के मकान रानीडिहा में ले जाकर बन्द करके जबरजस्ती मारपीट कर नगदी, मोबाइल एवं गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पैसे विभिन्न खातो मे स्थानान्तरित कर काफी डरा धमकाकर उन्हे वापस भेज दिया जाता था ।

पूछताछ विवरण -

पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि उनके द्वारा यह कार्य मई 2024 से शुरू किया गया था । अबतक सात व्यक्तियों को बुलाकर उनके साथ ऐसी ही घटना कारित की गयी है तथा अभियुक्तों द्वारा इस प्रकार की कुल 15 घटनाएं कारित की गयी है जो विभिन्न जनपदों से संबंधित हैं । घटना से प्राप्त धनराशि को आपस में बाटा जाता था

तथा घटना से प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत हिस्सा अपराध के मास्टर माइन्ड अभियुक्त लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ राणा सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र जगदीश नारायण सिंह निवासी ग्राम परमेठ थाना करंडा जनपद गाजीपुर द्वारा लिया जाता था। घटना का मास्टर माइन्ड अभियुक्त लक्ष्मीकान्त उर्फ राणा सिंह पीएसी का बर्खास्त सिपाही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

1. लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ राणा सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र जगदीश नारायण सिंह निवासी ग्राम परमेठ थाना करंडा जनपद गाजीपुर।
2. अंगद कुमार पुत्र राम मिलन निवासी आबादी शखनी थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर।
3. वासुदेव शर्मा पुत्र संजय शर्मा ग्राम सटोरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी -

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद चारपहिया वाहन
2. 08 अदद लूट का मोबाईल फोन
3. कुल 82,050/-रु0 नगद
4. 02 अदद लूट का आधार कार्ड
5. 02 अदद फर्जी आधार कार्ड
6. 01 अदद आधार कार्ड
7. 01 अदद पुलिस का कैटीन स्मार्ट कार्ड
8. 05 चेक बुक
9. घटना में प्रयुक्त 03 अदद स्टील के पाइप
10. 01 अदद लोहे के मुठिया लगा हथौड़ा
11. अगुंठा लगा हुआ 03 अदद स्टाम्प पेपर
12. 03 सादे स्टाम्प

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ राणा सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र जगदीश नारायण सिंह निवासी ग्राम परमेठ थाना करंडा जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 474/2024 धारा 127(2),309(6),351(3),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 475/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 476/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0 477/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
5. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 342, 394, 506 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
6. मु0अ0सं0 491/2023 धारा 109, 364 (ए), 464,468, 471 भादवि थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर।
7. मु0अ0सं0 1120/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर।

8. मु0अ0सं0 744/2019 धारा 406,504,506,420 भादवि थाना सारनाथ जनपद वाराणसी ।

2. अंगद कुमार पुत्र राम मिलन निवासी आबादी शखनी थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 474/2024 धारा 127(2),309(6),351(3),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
2. मु0अ0सं0 475/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
3. मु0अ0सं0 476/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
4. मु0अ0सं0 477/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
5. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 342, 394, 506 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।

3 वासुदेव शर्मा पुत्र संजय शर्मा ग्राम सटोरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 474/2024 धारा 127(2),309(6),351(3),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
2. मु0अ0सं0 475/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
3. मु0अ0सं0 476/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
4. मु0अ0सं0 477/2024 धारा 127(2),309(6),351(2),352 बीएनएस, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
5. मु0अ0सं0 478/2024 धारा 342, 394, 506 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रधीर कुमार मिश्रा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अंजय सिंह चौकी प्रभारी पैडलेगंज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
3. उ0नि0 सुभम श्रीवास्तव चौकी प्रभारी मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
4. प्र0उ0नि0 अतुल वर्मा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
5. प्र0उ0नि0 सुनील यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
6. प्र0उ0नि0 अंकुर सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
7. का0 जोगेन्द्र थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
8. का0 मृदुलकान्त थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
9. का0 सचिन थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
10. का0 विनोद यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।